अंशदान पेंशन योजना

भविष्य-निर्वाह निधि के लिए नाम-निर्देशन (नामिनेशन)

जब अभिदाता का अपना परिवार न हो और वह एक या एक से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करना चाहता है:--

मेरे भविष्य-निधि खाते में जमा धनराशि अंतिम रूप से देय हो जाने के पूर्व या देय हो जाने पर, किन्तु भुगतान होने के पूर्व यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं अपने भविष्य-निधि खाते में जमा धनराशि को प्राप्त करने के लिए सामान्य/अंशदायी भविष्य-निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली के नियम 2 में दी गयी परिवार की परिभाषा के अनुसार परिवार न रखने के कारण निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त धनराशि पाने के लिए एतद्द्वारा नामित करता हूं:--

क्रम-सं0	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति (नामिनी) का पूरा नाम और घर का पता (बड़े अक्षरों में लिखा जाय)	अभिदाता से संबंध	आयु	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अंश (शेयर)	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नाम निर्देशन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का पूरा नाम, आयु, अंश (शेयर), घर का पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे उस दशा में नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का अधिकार प्राप्त हो जायेगा जब कि अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाय
1.	ANITA YADAV	WIFE	29	सम्पूर्ण	मृत्यु, मानसिक असमर्थता, विवाह विच्छेद	AYUSH KUMAR YADAV
						100% AGE 4 YEAR.
						Village BHURKI NORTH
						P.O. KARIYA GOPALPUR
						Distt- AZAMGARH

...02.08.2014 दिनांक/माह. अगस्त सन् 2014 का ..... शनिवार ... दिन

दो साक्षियों के हस्ताक्षर:--

1--हस्ताक्षर [signature] 02.8.14 — पूरा नाम सालिक रामगुप्त — व्यवसाय अभियोजन अधिकारी — पता S.P.O कार्यालय जौनपुर

2--हस्ताक्षर [signature] — पूरा नाम राजेन्द्र कुमार गौतम — व्यवसाय नौकरी — पता SPO कार्यालय जौनपुर

Vinod Kumar
अभिदाता के हस्ताक्षर

विनोद कुमार
अभिदाता का पूरा नाम

(प्रतिहस्ताक्षरित) कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और पदनाम

[signature]
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
जौनपुर
HA/SPO